



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 23, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

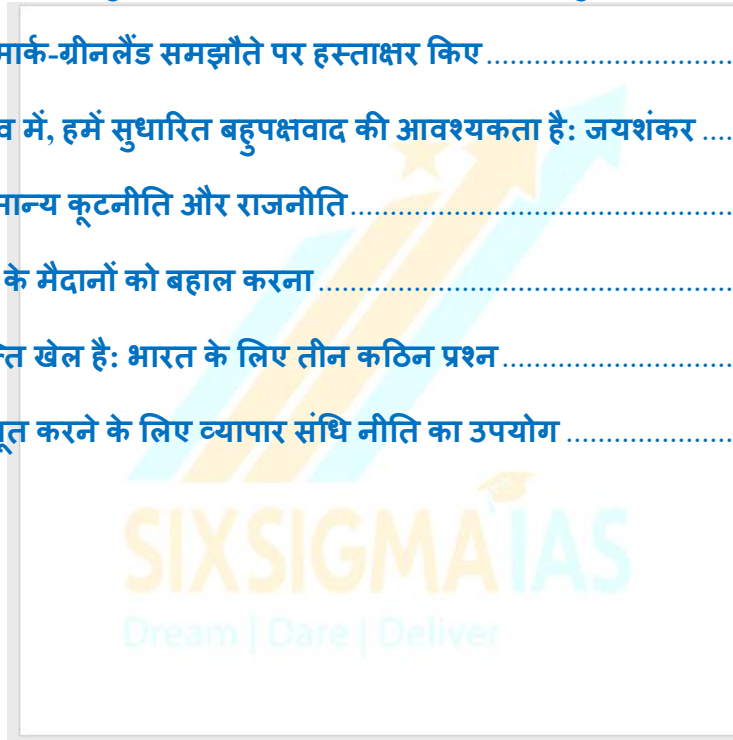


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. राष्ट्रगान गाने से इंकार करने पर दंडित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट.....	2
2. अमेरिका द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की जांच करने तक व्यापार समझौते की संभावना कम	4
3. एल-जी ने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया, रोकथाम के लिए महिला-केंद्रित गश्ती इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया	5
4. कर्नाटक के सदनों ने पश्चिमी घाट पर रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया	7
5. बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में हूती आगे बढ़े, ईरान ने अमेरिका के साथ होर्मुज वार्ता का संकेत दिया	8
6. अपने अंतिम यूएन भाषण में, गुटेरेस ने 'पारस्परिक निर्भरता पर बनी दुनिया' का आह्वान किया	10
7. ट्रम्प ने अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए	11
8. वैश्विक व्यवस्था दबाव में, हमें सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है: जयशंकर	12
9. कगार पर दुनिया, सामान्य कूटनीति और राजनीति	14
10. गेंडे को बचाना, घास के मैदानों को बहाल करना	15
11. AI अब एक महाशक्ति खेल है: भारत के लिए तीन कठिन प्रश्न	17
12. मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए व्यापार संधि नीति का उपयोग	18



1. राष्ट्रगान गाने से इंकार करने पर दंडित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

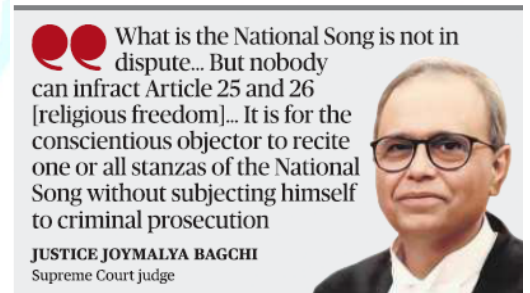
प्रमुख बिंदु और सारांश

- **राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान (वंदे मातरम) गाने से इंकार करने पर दंडित नहीं किया जा सकता, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
- **टी.एम. कृष्णा की याचिका:** कर्नाटक गायक टी.एम. कृष्णा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 को चुनौती दी, जिसमें अनुपालन न करने पर तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था।

- **अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताने वालों का संरक्षण:** न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताने वालों को गीत के सभी या कुछ हिस्सों का पाठ न करने के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना नहीं कराया जा सकता।
- **पूर्व निर्णय की पुन पुष्टि:** पीठ ने 1986 के ऐतिहासिक बिजोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामले का हवाला दिया, जिसने संवैधानिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और मौन विरोध को बरकरार रखा था।
- **धर्मनिरपेक्षता और भक्ति पद:** याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वंदे मातरम के पद 3 से 6 स्पष्ट रूप से देवी-देवताओं का आह्वान करते हैं, जिन्हें बाध्य किए जाने पर धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- **केंद्र सरकार का जवाब:** उच्चतम न्यायालय ने संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में केंद्र सरकार से औपचारिक जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताने वाला (Conscientious Objector):** वह व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत, नैतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ कानूनों, आदेशों या कर्तव्यों का पालन करने से इंकार करता है।
- **संवैधानिक सहिष्णुता (Constitutional Tolerance):** वह न्यायिक सिद्धांत कि एक लोकतांत्रिक राज्य को निष्क्रिय असहमति के लिए आपराधिक दंड लगाए बिना विचारों, अंतरात्मा और धार्मिक मान्यताओं की विविधता का सम्मान करना चाहिए।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 25:** अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, जो व्यक्तियों को राज्य द्वारा धार्मिक ग्रंथों या गीतों के जबरन पाठ से बचाता है।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिससे सामूहिक धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाले राज्य के जबरन अनुपालन को रोका जा सकता है।
- **राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम:** राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आचरण को विनियमित करने वाला एक वैधानिक ढांचा; 2026 के संशोधन ने आपराधिक दायित्व के तहत वंदे मातरम के अनिवार्य गायन को शामिल किया, जो अब न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- **न्यायिक नजीर (बिजोई इमैनुएल मामला, 1986):** यह स्थापित किया गया कि राष्ट्रगान बिना गाए सम्मानपूर्वक खड़े रहना अनादर या अपराध नहीं है, जो राष्ट्रीय गौरव को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करता है।

निष्कर्ष उच्चतम न्यायालय का अवलोकन देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में राज्य के हितों को संविधान के तहत guaranteed व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ संतुलित करता है। धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सहिष्णुता को बरकरार रखकर, न्यायपालिका इस बात को सुदृढ़ करती है कि जबरन देशभक्ति धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25 और 26), न्यायिक नजीर, राज्य के दायित्वों के विरुद्ध मौलिक स्वतंत्रताओं की संरचना और दायरा।
- **जीएस पेपर II (संवैधानिक कानून):** मूल संरचना का सिद्धांत (धर्मनिरपेक्षता), संवैधानिक नैतिकता, और विधायी संशोधनों की न्यायिक समीक्षा।

2. अमेरिका द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की जांच करने तक व्यापार समझौते की संभावना कम

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **व्यापार समझौते में देरी:** भारत और अमेरिका द्वारा तब तक व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने की संभावना नहीं है जब तक कि अमेरिका भारत के क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ नई 'धारा 301' जांच पूरी नहीं कर लेता।
- **क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को निशाना बनाना:** नई धारा 301 जांच का उद्देश्य जबरन श्रम और अत्यधिक क्षमता जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों की जांच करना है।
- **टैरिफ अंतर का प्रभाव:** एक नियोजित अंतरिम सौदे के तहत, भारतीय वस्तुओं पर 18% की सामान्य टैरिफ दर लागेगी, जिससे 20% तक की उच्च दरों का सामना करने वाले प्रतिस्पर्धियों पर लाभ मिलेगा।
- **अत्यधिक क्षमता जांच:** भारत 'अत्यधिक क्षमता' के लिए जांच सूची में है और अपनी समग्र टैरिफ दर को 18% तक समायोजित करने के लिए इस जांच में 8% टैरिफ का सामना करने की संभावना है।
- **पारस्परिक टैरिफ से बदलाव:** अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए 'पारस्परिक टैरिफ' को सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा रद्द किए जाने के बाद अमेरिका एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में धारा 301 का लाभ उठा रहा है।
- **व्यापार नीति संरचना:** भारत मुख्य रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ के आधार पर काम करता है, जबकि अमेरिका कार्यकारी टैरिफ का उपयोग करता है, जिसके लिए एक संरचित प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते की आवश्यकता होती है।

Uneven markets

The U.S. uses 'Section 301' as an alternative to the 'reciprocal tariffs'

■ India, Pakistan, and Sri Lanka were subject to probes for 'forced labour', but only India is on the probe list for 'excess capacity'

■ India is likely to face 8% tariff in the 'excess capacity' investigation to bring the overall tariff rate it faces up to 18%



आवश्यक परिभाषाएं

- **धारा 301 जांच (Section 301 Investigation):** अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 के तहत एक प्रावधान जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को अमेरिकी वाणिज्य के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या प्रतिबंधात्मक मानी जाने वाली विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उनका जवाब देने की अनुमति देता है।

- **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN):** विश्व व्यापार संगठन का एक सिद्धांत जिसके तहत सभी सदस्य देशों के लिए समान व्यापारिक व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिससे आयात पर गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ सुनिश्चित होते हैं जब तक कि कोई विशिष्ट द्विपक्षीय समझौता न हो।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 (धारा 301):** कार्यकारी शाखा को व्यापार समझौतों का उल्लंघन करने वाले या अनुचित प्रथाओं में शामिल विदेशी राष्ट्रों पर एकतरफा प्रतिबंध या प्रतिशोधनात्मक टैरिफ लगाने की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA):** एक अमेरिकी संघीय कानून जो राष्ट्रीय आपातस्थिति के दौरान राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के नियमन की अनुमति देता है; हाल के न्यायिक फैसलों ने व्यापक पारस्परिक टैरिफ के लिए इसके दुरुपयोग को सीमित कर दिया है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** भारत की संसद को विदेशी राष्ट्रों के साथ हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों और व्यापार सम्मेलनों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **डब्ल्यूटीओ टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) अनुच्छेद I:** संप्रभु राज्यों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार मानकों को लागू करने के लिए MFN क्लॉज को संहिताबद्ध करता है।

निष्कर्ष भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में रणनीतिक देरी धारा 301 जैसे एकतरफा नियामक तंत्रों की ओर अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव को रेखांकित करती है। घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा के लिए, भारत को प्राथमिकता बाजार पहुंच हासिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनी बाधाओं का सामना करना होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव, और वैश्विक व्यापार ढांचे।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों की लामबंदी, बाहरी क्षेत्र, टैरिफ और विदेशी व्यापार समझौतों से संबंधित मुद्दे।

3. एल-जी ने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया, रोकथाम के लिए महिला-केंद्रित गश्ती इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **पिंक फोर्स की स्थापना:** दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस को संवेदनशील घंटों के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, मेट्रो स्टेशनों और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास गश्त करने के लिए प्रशिक्षित महिला कर्मियों की एक समर्पित "पिंक फोर्स" तैनात करने का निर्देश दिया।
- **मॉडल प्रेरणा:** यह पहल महिलाओं को निशाना बनाने वाले सड़क अपराधों के खिलाफ स्पष्ट दृश्य रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गोवा पुलिस के पिंक फोर्स मॉडल से प्रेरणा लेती है।

- **सार्वजनिक उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई:** 'ऑपरेशन शिष्टाचार' के तहत सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लक्षित प्रवर्तन जारी रखने के निर्देश दिए गए।
- **जन संपर्क और पोक्सो जागरूकता:** प्रत्येक जिला पुलिस इकाई एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और पोक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक द्रव्यों के सेवन और सड़क सुरक्षा को कवर करने वाले त्रैमासिक जागरूकता कैलेंडर को निष्पादित करेगी।
- **नशा विरोधी और साइबर अपराध पहल:** उपराज्यपाल ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खुफिया-आधारित कार्रवाई और साइबर अपराध के मामलों में डिजिटल साक्ष्य संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण पर जोर दिया।
- **डिजिटल शिकायत निवारण:** दिल्ली पुलिस समय पर समाधान और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जन सुनवाई शिकायतों के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र पेश करेगी।

आवश्यक परिभाषाएं

- **दृश्य रोकथाम (Visible Deterrence):** एक सक्रिय पुलिसिंग रणनीति जो संभावित अपराधियों को अपराध करने से हतोत्साहित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च-दृश्यता पुलिस उपस्थिति, गश्त और समर्पित इकाइयों का उपयोग करती है।
- **जन सुनवाई:** एक औपचारिक सार्वजनिक शिकायत सुनवाई तंत्र जिसे नागरिकों को पुलिस शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, जो लिंग-केंद्रित पुलिसिंग उपायों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239AA:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की विशेष प्रशासनिक स्थिति को परिभाषित करता है, जो उपराज्यपाल के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को केंद्र सरकार के शासन के तहत रखता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** एक व्यापक वैधानिक ढांचा जो नाबालिगों को यौन शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित वैधानिक आपराधिक दायित्व, दंडात्मक उपायों और प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष महिला-केंद्रित गश्ती इकाई और डिजिटल शिकायत ट्रैकिंग का निर्माण दिल्ली में निवारक, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी संचालित कानून प्रवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। स्थानीय सुरक्षा उपायों को संवैधानिक जनादेशों के साथ संरेखित करना संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लिंग आधारित अपराधों को रोकता है, और सार्वजनिक स्थानों पर जनता का विश्वास बढ़ाता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और राजव्यवस्था):** नागरिक सेवाओं की भूमिका, संवेदनशील वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए तंत्र, दिल्ली एनसीटी की संवैधानिक स्थिति।

- **जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध):** स्मार्ट पुलिसिंग प्रथाएं, कानून प्रवर्तन में संस्थागत सुधार, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, और नशीले पदार्थों के खिलाफ रणनीतियां।

4. कर्नाटक के सदनों ने पश्चिमी घाट पर रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **सर्वसम्मति से प्रस्ताव:** कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के सीमांकन को केवल अधिसूचित वनों तक सीमित रखने का आग्रह किया।
- **मसौदा अधिसूचना की अस्वीकृति:** राज्य ने पश्चिमी घाट ESA पर केंद्र की सातवीं मसौदा अधिसूचना का विरोध किया, जिसने कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 जिलों के 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र को नामित किया था।
- **ज़मीनी सर्वेक्षण की मांग:** कर्नाटक ने प्रस्तावित ESA क्षेत्रों के विस्तृत भौतिक ज़मीनी सर्वेक्षण को निष्पादित करने के लिए अंतिम रूप देने पर एक वर्ष के स्थगन का अनुरोध किया।
- **प्रस्तावित क्षेत्र में कमी:** राज्य का रुख अधिसूचित ESA कवरेज को 20,668 वर्ग किमी से घटाकर लगभग 16,000 वर्ग किमी करने की वकालत करता है।
- **राज्य विशेषज्ञ समिति:** कर्नाटक ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में कमियों की पहचान करने और उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की।
- **द्विपक्षीय परामर्श की आवश्यकता:** प्रस्ताव पर जोर दिया गया है कि ESA अधिसूचना पर अंतिम निर्णय राज्य की ज़मीनी रिपोर्ट जमा करने और विस्तृत केंद्र-राज्य चर्चाओं के बाद होना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (ESA):** मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने, पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास एक बफर के रूप में कार्य करने के लिए पर्यावरण कानूनों के तहत घोषित एक जैविक रूप से समृद्ध और नाजुक क्षेत्र।
- **कस्तूरीरंगन समिति (HLWG):** पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को ESA के रूप में सीमांकित करके पारिस्थितिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय कार्य समूह।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए इको-सेंसिटिव जोन और ESA घोषित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य का एक नीति निदेशक तत्व जो राज्य को देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा, सुधार और सुरक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का एक मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
- **सहकारी संघवाद:** अनुच्छेद 246 का ढांचा जो भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक विकास पर राज्य के अधिकार क्षेत्र के साथ पर्यावरण शासन पर केंद्रीय शक्ति को संतुलित करता है।

निष्कर्ष कर्नाटक विधायिका का प्रस्ताव पर्यावरणीय संरक्षण जनादेशों और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच तनाव को दर्शाता है। पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में सतत संरक्षण के लिए परामर्शदात्री पर्यावरणीय शासन, ज़मीनी स्तर के सत्यापन और गतिशील केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता होती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** संघवाद के मुद्दे, केंद्र-राज्य संबंध, विधायी प्रस्ताव, और नीति कार्यान्वयन की चुनौतियाँ।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट संरक्षण ढांचा, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, और सतत विकास मॉडल।

5. बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में हूती आगे बढ़े, ईरान ने अमेरिका के साथ होर्मुज वार्ता का संकेत दिया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजनयिक संकेत:** ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक राजनयिक मंच के रूप में उपयोग करते हुए कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेता है, तो वह खाड़ी के वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए तैयार है।
- **तनाव कम करने का प्रस्ताव:** ईरानी अधिकारियों ने क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से वाशिंगटन को औपचारिक राजनयिक प्रस्ताव सौंपे, जिसमें संरचित वार्ताओं और समय-सीमा की शर्तों की रूपरेखा दी गई है।
- **ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का संदर्भ:** यह राजनयिक पहल फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" शुरू किए जाने के बाद से महीनों के बढ़े हुए टकराव के बाद सामने आई है।
- **बाब अल-मंडेब में हूती विस्तार:** यमन में ईरान समर्थित हूती बलों ने आगे बढ़ते हुए सऊदी समर्थित बलों को खदेड़ दिया और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सामरिक समुद्री व्यापार मार्गों को खतरे में डाल दिया।
- **ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव:** सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए जाने वाले हूती ड्रोन और मिसाइल हमले खाड़ी के तेल निर्यात के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिससे प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा:** कतर के मध्यस्थता प्रयासों के साथ-साथ खाड़ी देश ईरान और अरब खाड़ी देशों को एक संयुक्त स्थिरता संरचना में एकीकृत करने के लिए एक बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे का मूल्यांकन कर रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग, जो दुनिया की पेट्रोलियम आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है।
- **बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab el-Mandeb Strait):** लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री मार्ग, जो स्वेज नहर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS), 1982:** अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन के अधिकारों को विनियमित करता है, गैर-कानूनी नाकेबंदी को सीमित करता है और वाणिज्यिक जहाजों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** संप्रभु राज्यों पर सशस्त्र हमलों के जवाब में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव:** प्रमुख व्यापारिक गलियारों में काम करने वाले गैर-राज्य सशस्त्र तत्वों को विनियमित करने वाले वैश्विक प्रतिबंधों और हथियार प्रणालियों के ढांचे को स्थापित करता है।

निष्कर्ष होर्मुज जलडमरूमध्य में राजनयिक संभावनाओं और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में सशस्त्र वृद्धि का अभिसरण मध्य पूर्व में अनिश्चित सुरक्षा परिदृश्य को रेखांकित करता है। टिकाऊ शांति के लिए संतुलित बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे, बाहरी शक्तियों द्वारा तनाव में कमी और वैश्विक ऊर्जा पारगमन मार्गों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर मध्य पूर्व की अस्थिरता का प्रभाव, सामरिक समुद्री मार्ग और वैश्विक कूटनीति।
- **जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक अर्थव्यवस्था):** समुद्री सुरक्षा, समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) की सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और आयात संबंधी संवेदनशीलता।

6. अपने अंतिम यूएन भाषण में, गुटेरेस ने 'पारस्परिक निर्भरता पर बनी दुनिया' का आह्वान किया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- वैश्विक पारस्परिक निर्भरता का आह्वान:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महासभा में वैश्विक नेताओं से विखंडन को खारिज करने और घने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी संबंधों द्वारा समर्थित दुनिया का निर्माण करने का आग्रह किया।
- एकतरफा शक्ति की अस्वीकृति:** गुटेरेस ने "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली सोच की निंदा की, इस बात पर जोर दिया कि केवल सैन्य शक्ति शांति हासिल नहीं कर सकती और महाशक्तियों से अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का आग्रह किया।
- चौड़ी होती दरारें:** भाषण में गहराते वैश्विक संकटों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ता वैश्विक तापमान और अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जोखिम शामिल हैं।
- लेन-देनवाद (Transactionalism) की आलोचना:** संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लेन-देन संबंधी कूटनीति, बढ़ते आपसी अविश्वास और अत्यधिक महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के खिलाफ चेतावनी दी जो अंतरराष्ट्रीय शासन को अस्थिर करती है।
- वैश्विक संघर्षों का प्रसार:** UNGA की यह बैठक गाजा, यूक्रेन, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार और मध्य पूर्व में चल रहे युद्धों और मानवीय संकटों के बीच हो रही है।
- अंतिम यूएनजीए संबोधन:** वर्ष के अंत में पद छोड़ने से पहले महासचिव के रूप में अपने अंतिम संबोधन में, गुटेरेस ने बहुपक्षवाद और साझा निर्णय लेने की तत्काल अपील की।

आवश्यक परिभाषाएं

- बहुपक्षीय पारस्परिक निर्भरता (Multilateral Interdependence):** अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण जहां संप्रभु राज्य सीमा पार की चुनौतियों को हल करने के लिए साझा आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक ढाँचों पर निर्भर करते हैं।
- कूटनीति में लेन-देनवाद (Transactionalism in Diplomacy):** अंतरराष्ट्रीय कानून, मानदंडों और सामूहिक सुरक्षा समझौतों के दीर्घकालिक पालन के बजाय तत्काल, द्विपक्षीय, स्व-हितैषी लाभों पर केंद्रित विदेश नीति रणनीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य नीति का एक निर्देशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का जनादेश देता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 1(1):** प्रभावी सामूहिक उपायों और विवादों के शांतिपूर्ण समायोजन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक उद्देश्य की रूपरेखा तैयार करता है।

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 97 और 99:** मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में महासचिव की कानूनी जिम्मेदारी को परिभाषित करता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति के खतरों को सुरक्षा परिषद के समक्ष लाने का अधिकार देता है।
- **संप्रभु समानता के घोषणात्मक सिद्धांत:** अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून में निहित, जो एकतरफा ज़बरदस्ती को खारिज करते हैं और संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप को लागू करते हैं।

निष्कर्ष एंटोनियो गुटेरेस का अंतिम संबोधन अति-राष्ट्रवाद और एकतरफा संघर्ष के बोझ तले पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों के संरचनात्मक पतन को रेखांकित करता है। प्रभावी वैश्विक शासन के पुनर्निर्माण के लिए सत्ता की राजनीति से दूर हटकर नियम-आधारित बहुपक्षवाद, साझा सुरक्षा और न्यायसंगत प्रौद्योगिकी विनियमन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान (संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, सुरक्षा परिषद), वैश्विक बहुपक्षीय समूह, और वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था की चुनौतियां।
- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** राज्य नीति के निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 51) और वैश्विक शांति तथा मध्यस्थता के संबंध में भारत के विदेश नीति सिद्धांत।

7. ट्रम्प ने अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता:** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रणनीतिक आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **डेनिश संप्रभुता का संरक्षण:** यह समझौता अमेरिका द्वारा सीधे अधिग्रहण को रोकता है, जिससे वाशिंगटन के लिए दीर्घकालिक रक्षा पहुंच हासिल करते हुए द्वीप डेनिश नियंत्रण में बना रहता है।
- **स्वतंत्रता का प्रावधान:** समझौते में एक खंड शामिल है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि इसके सुरक्षा दायित्व तब भी लागू रहेंगे जब ग्रीनलैंड भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लेता है।
- **नाटो एकजुटता और रक्षा:** यह समझौता नाटो के भीतर महीनों के राजनयिक तनाव को हल करता है, यह स्थापित करते हुए कि कोई भी भविष्य का स्वतंत्र ग्रीनलैंड अटलांटिक गठबंधन के साथ जुड़ा रहना चाहिए।
- **प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिबंध:** यह समझौता गैर-नाटो देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने या संवेदनशील विदेशी निवेश सुरक्षित करने से रोकता है।
- **उन्नत वायु और मिसाइल सुरक्षा:** यह सौदा अमेरिकी बलों के लिए व्यापक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें "गोल्डन डोम" वायु और मिसाइल रक्षा वास्तुकला को तैनात करने का अधिकार शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र (Semiautonomous Territory):** रक्षा और विदेशी मामलों के लिए संवैधानिक रूप से संप्रभु राज्य के अधीन रहते हुए पर्याप्त आंतरिक स्व-शासी शक्तियों, स्थानीय विधायी प्राधिकरण और प्रशासन वाला क्षेत्र।
- **रणनीतिक चोकपॉइंट (आर्कटिक):** सुदूर उत्तर में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक गलियारा जो प्रमुख महासागरों को जोड़ता है, समुद्री मार्गों, प्रारंभिक चेतावनी रक्षा प्रणालियों और ध्रुवीय संसाधन पहुंच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **ग्रीनलैंड स्व-सरकार अधिनियम (2009):** अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ग्रीनलैंडिक लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने वाला और डेनमार्क साम्राज्य के भीतर स्थानीय स्व-शासन के लिए नियम निर्धारित करने वाला एक वैधानिक ढांचा।
- **उत्तरी अटलांटिक संधि (1949) अनुच्छेद 5:** नाटो का मूल सामूहिक रक्षा प्रावधान, जो यह स्थापित करता है कि किसी एक सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य नीति का एक निर्देशक तत्व जो भारतीय राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, संधि दायित्वों का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4):** राज्यों के बीच संप्रभु समानता का जनादेश देता है और किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है।



निष्कर्ष यह त्रिपक्षीय समझौता आर्कटिक में अमेरिकी सुरक्षा उद्देश्यों को यूरोपीय क्षेत्रीय संप्रभुता और ग्रीनलैंडिक आत्मनिर्णय के साथ संतुलित करता है। बहुपक्षीय गठबंधनों के भीतर सैन्य पहुंच को औपचारिक रूप देकर, यह सौदा महत्वपूर्ण ध्रुवीय बुनियादी ढांचे पर प्रतिस्पर्धी विदेशी प्रभाव को रोकते हुए सामूहिक रक्षा को सुदृढ़ करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियां, नाटो गतिशीलता, आर्कटिक क्षेत्र की भू-राजनीति, और संप्रभुता बनाम रक्षा गारंटी।
- **जीएस पेपर III (रणनीतिक और सुरक्षा अध्ययन):** आर्कटिक शासन, ध्रुवीय क्षेत्रों का सैन्यीकरण, समुद्री सुरक्षा, और संसाधन भू-राजनीति।

8. वैश्विक व्यवस्था दबाव में, हमें सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है: जयशंकर

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **उद्घाटन P4M शिखर सम्मेलन का सह-प्रायोजन:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून, शांति और समृद्धि के लिए भागीदार (P4M) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन की सह-अध्यक्षता की।

- **'4F' वैश्विक संकट का समाधान:** जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त (fuel, food, fertiliser, and finance) से मिलकर बनने वाले जटिल "4F" संकट के लिए आपूर्ति व्यवधानों के खिलाफ वैश्विक ढांचे, सुरक्षा उपायों और जोखिम-निवारण की आवश्यकता है।
- **सुधारित बहुपक्षवाद का आह्वान:** भारत ने दोहराया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक संघर्ष से बहुपक्षवाद गंभीर रूप से कमजोर हुआ है, और अधिक सहभागितापूर्ण विचार-विमर्श तथा पारदर्शी निर्णय लेने की वकालत की।
- **UNSC संरचनात्मक सुधारों के लिए दबाव:** शिखर सम्मेलन ने 15-सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गहरे ध्रुवीकरण पर प्रकाश डाला, जिसमें चार वाइसेग्राड समूह (V4) राष्ट्रों ने स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
- **चोकपॉइंट प्रभुत्व से सुरक्षा:** विदेश मंत्री ने समान विचारधारा वाले राष्ट्रों से लचीलापन बनाने, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा क्षमताओं के आसपास सुरक्षा उपाय स्थापित करने का आह्वान किया।
- **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय जुड़ाव:** शिखर सम्मेलन से अलग, भारत ने रक्षा, आर्थिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्रांस, यूक्रेन, स्लोवाकिया और वाइसेग्राड समूह के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं कीं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सुधारित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism):** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सत्ता वितरण के बजाय समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकायों में संरचनात्मक परिवर्तनों की वकालत करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय शासन दृष्टिकोण।
- **4F संकट (4F Crisis):** भोजन (Food), ईंधन (Fuel), उर्वरक (Fertiliser) और वित्त (Finance) पहुंच को प्रभावित करने वाले परस्पर जुड़े वैश्विक झटकों को संदर्भित करने वाला एक शब्द, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक दक्षिण (Global South) की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य नीति का एक निर्देशक तत्व (DPSP) जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और संधि दायित्वों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 108 और 109:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो संरचना में बदलाव सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संवैधानिक संशोधनों के लिए कानूनी प्रक्रिया स्थापित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 62/557:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और विस्तार पर अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) के लिए कानूनी जनादेश प्रदान करता है।
- **संप्रभु समानता पर अंतरराष्ट्रीय कानून (UN Charter Article 2(1)):** वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में राज्यों की गैर-भेदभावपूर्ण भागीदारी को लागू करता है।

निष्कर्ष P4M शिखर सम्मेलन उन वैश्विक संस्थानों में आमूल-चूल परिवर्तन की बढ़ती अनिवार्यता को रेखांकित करता है जो संघर्षों को रोकने और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने में विफल रहे हैं। सुधारित बहुपक्षवाद की वकालत करके, भारत खुद को एक संतुलित, नियम-आधारित विश्व व्यवस्था बनाने के लिए ग्लोबल साउथ और विकसित राष्ट्रों के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, भारत की विदेश नीति, और रणनीतिक साझेदारियां।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा):** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियां, और आर्थिक शासन।

9. कगार पर दुनिया, सामान्य कूटनीति और राजनीति

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **वैश्विक शिखर सम्मेलनों का विरोधाभास:** UNGA, BRICS, P4M और SCO जैसे लगातार बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नियमित प्रोटोकॉल पर काम कर रही है, जबकि व्यवस्थागत अस्तित्व के जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं।
- **शासन में अलगाव:** वैश्विक राजनीतिक तंत्र और जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्षेत्रीय युद्धों जैसे बढ़ते खतरों के बीच एक गहरा अंतर मौजूद है।
- **नेतृत्व की सीमाएं:** समकालीन वैश्विक नेताओं को भारी घरेलू बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे वैश्विक हितों के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करने के बजाय राष्ट्रीय मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनते हैं।
- **व्यवस्थागत संघर्ष:** गाजा, यूक्रेन, सूडान और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक संकटों में क्षेत्र, सत्ता और प्रतिष्ठा के पारंपरिक ढांचों के भीतर व्यावहारिक सौदेबाजी के समाधान की कमी है।
- **एकतरफावाद की सीमाएं:** कोई भी प्रमुख शक्ति अकेले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती; हालांकि शक्तियां एक-दूसरे को सीमित करती हैं, वे प्रभावी सामूहिक कार्रवाई करने में विफल रहती हैं।
- **सामान्य स्थिति का भ्रम:** कूटनीतिक विज्ञप्तिyaँ और शिखर सम्मेलन के अनुष्ठान सुरक्षा की एक झूठी भावना पैदा करते हैं, जबकि वे विनाशकारी जोखिमों से मानवता की रक्षा करने में संरचनात्मक रूप से विफल रहते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **लेन-देन संबंधी कूटनीति (Transactional Diplomacy):** एक विदेश नीति ढांचा जहां राष्ट्र-राज्य स्थायी नियम-आधारित सामूहिक सुरक्षा प्रणालियों का पालन करने के बजाय अल्पकालिक, स्व-हितैषी विनिमय में संलग्न होते हैं।
- **व्यवस्थागत जोखिम (Systemic Risk):** वैश्विक आर्थिक, पारिस्थितिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्रों में परस्पर जुड़ी कमजोरियां जो संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डालती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और संधि दायित्वों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 1:** अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति के खतरों को रोकने, आक्रामकता के कृत्यों को दबाने और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हासिल करने के लिए प्रभावी सामूहिक उपाय करने का जनादेश देता है।
- **संप्रभु समानता का सिद्धांत (UN Charter Article 2(1)):** वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए साझा जिम्मेदारी लागू करते हुए सभी संप्रभु राज्यों को समान स्थिति का अधिकार देता है।
- **प्रथागत अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून:** सीमा पार नुकसान के सिद्धांतों और गैर-नुकसान नियमों को स्थापित करता है जो राज्यों को साझा विरासत क्षेत्रों और जलवायु स्थिरता की रक्षा करने के लिए बाध्य करते हैं।

निष्कर्ष वैश्विक शासन एक खतरनाक विरोधाभास में फंसा हुआ है जहाँ कूटनीतिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से जारी हैं जबकि अस्तित्व के जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक प्रोत्साहनों और वैश्विक हितों के बीच की खाई को पाटने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और वैश्विक साझा जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण करने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** वैश्विक शासन ढांचा, बहुपक्षवाद की चुनौतियाँ, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सुधार, और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति।
- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था):** राज्य नीति के निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 51) और विदेश नीति का संचालन।

10. गेंडे को बचाना, घास के मैदानों को बहाल करना

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **राष्ट्रीय आबादी में सुधार:** भारत में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड (एक सींग वाले) गेंडों की संख्या 1980 के दशक में लगभग 1,500 से बढ़कर सितंबर 2024 तक 4,000 से अधिक हो गई है।
- **राष्ट्रीय CAMPA चरण I (2026-2031):** नेशनल कैम्पा (CAMPA) द्वारा समर्थित एक पांच-वर्षीय पहल ट्रांसलोकेशन (स्थानांतरण), आवास प्रबंधन और रेंज विस्तार के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को एक साथ लाती है।

- **घास के मैदान आकलन परियोजना:** WII, ICFRE और FSI द्वारा 2026–2031 की एक राष्ट्रीय परियोजना घास के मैदान की सीमा, कार्बन क्षमता, जैव विविधता का मूल्यांकन करेगी और एक राष्ट्रीय घास के मैदान एटलस (National Grassland Atlas) की स्थापना करेगी।
- **जलवायु-लचीला प्रबंधन:** रणनीति बाढ़ के मैदानों वाले आवासों में अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं से निपटने के लिए उच्च भूमि पहुंच, पारिस्थितिक गलियारों और फैलाव मार्गों को बनाए रखने पर केंद्रित है।
- **तकनीकी एकीकरण:** स्थानिक निगरानी, आनुवंशिक ट्रैकिंग और निर्णय-समर्थन प्रणालियों सहित आधुनिक उपकरण वन रक्षकों और स्थानीय महावतों द्वारा जमीनी गश्त को पूरा करते हैं।
- **क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत एशियाई गेंडों के लिए 2019 के नई दिल्ली घोषणापत्र के तहत भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ संरेखित है।

Saving the rhino, restoring grasslands



BIRUPENDER YADAV

FOR INDIA, the greater one-horned rhinoceros is much more than an iconic species. It is an integral part of the ecological and cultural landscape of the Brahmaputra floodplains and the Terai grasslands. The animal's historical range extended across the northern Indian Subcontinent, along the Indus, Ganga and Brahmaputra river systems. Today, its wild population in the country is concentrated mainly in Assam, UP and West Bengal. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India is now pushing for the expansion of the rhino range.

The rhino conservation strategy is guided by the understanding that conservation should not be limited to safeguarding existing rhino concentrations but should work towards establishing secure populations across suitable parts of their historical range. The National Conservation Strategy for the rhinoceros, launched in 2009, provides a framework for strengthening existing populations, restoring the species to suitable former habitats, maintaining genetic security and habitat connectivity, promoting scientifically planned translocations and building climate resilience into rhino conservation.

The rhino's story in India is a story of recovery. The animal's numbers have increased from around 1,500 in the 1980s to more than 4,000 as of September 2024.

The five-year Phase I (2026–2031), proposed for support through the National CAMPA Authority, brings together Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal, with a focus on scientific monitoring, protection, habitat restoration and management, translocation planning, coexistence and capacity building. It seeks not only to consolidate the existing populations but also to support the species' expansion into suitable areas in Bihar and Arunachal Pradesh.

The rhino's habitats are also important for swamp deer, wild buffalo, elephants, tigers, grassland birds and several smaller species. Grasslands are dynamic ecosystems that require science-based management to prevent degradation, inappropriate succession and the spread of invasive species.

This species focused effort is complemented by a national initiative. A five-year (2026–2031) project on the Comprehensive Assessment of Indian Grasslands, to be implemented by the Wildlife Institute of India, Indian Council of Forestry Research and Education and Forest Survey of India, will assess grassland extent, ecological condition, biodiversity, degradation, ecosystem services and carbon potential. It will support a National Grassland Atlas, restoration priorities and long-term management guidelines.

Flooding is intrinsic to landscapes such as Kachraha. But the increasing frequency and intensity of extreme climatic events can create new conservation pressures. Maintaining access to higher ground, securing ecological connectivity, protecting dispersal routes and managing habitats will be important. The National Conservation Strategy recognises climate-resilient management as part of the protection framework for the species.

Technology, too, has an expanding role. Modern surveillance, spatial monitoring, veterinary diagnostics, genetic tools and decision support systems can reinforce traditional fieldcraft. No technology, however, can substitute the forest guards, watchers, mahouts, veterinarians and field officers who patrol these landscapes. Equally important are the communities living around rhino habitats. The future of the species depends on conservation being seen not as an isolated governmental activity but as a shared enterprise.

India's experience has also shown the importance of cooperation beyond state and national boundaries. At the Second Asian Rhino Range States Conservation Meeting held in New Delhi in 2019, India joined Bhutan, Indonesia, Malaysia and Nepal in adopting the New Delhi Declaration to strengthen conservation cooperation for Asian rhinoceros species. The Centre and the rhino-bearing states have since continued to work within this broader framework.

On World Rhino Day, September 22, we take satisfaction in the distance travelled in protecting rhinos, we are also protecting the rivers, grasslands, wetlands, forests and communities that together make these landscapes among India's richest treasures. The rhino's recovery is a national achievement. Its future is a national responsibility.

The writer is Union Cabinet Minister for Environment, Forest & Climate Change

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्रेटर वन-हॉर्न गेंडा (Rhinoceros unicornis):** ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों और तराई के घास के मैदानों की एक विशाल शाकाहारी प्रजाति, जिसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **पारिस्थितिक कनेक्टिविटी (Ecological Connectivity):** प्रजातियों की अबाध आवाजाही और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का प्रवाह जो परिदृश्यों और संरक्षित गलियारों में जीवन को बनाए रखता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची I):** भारतीय गेंडे को शिकार, अवैध शिकार और व्यापार के खिलाफ सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा स्थिति प्रदान करता है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016:** आवास बहाली, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक निगरानी को वित्तपोषित करने के लिए नेशनल कैम्पा (CAMPA) को वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।

निष्कर्ष भारत में गेंडों की संख्या में सुधार विज्ञान आधारित आवास प्रबंधन, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी तैनाती की सफलता को दर्शाता है। घास के मैदानों का विस्तार और पारिस्थितिक गलियारों को सुरक्षित करना उपमहाद्वीप में आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को संरक्षित करते हुए दीर्घकालिक प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

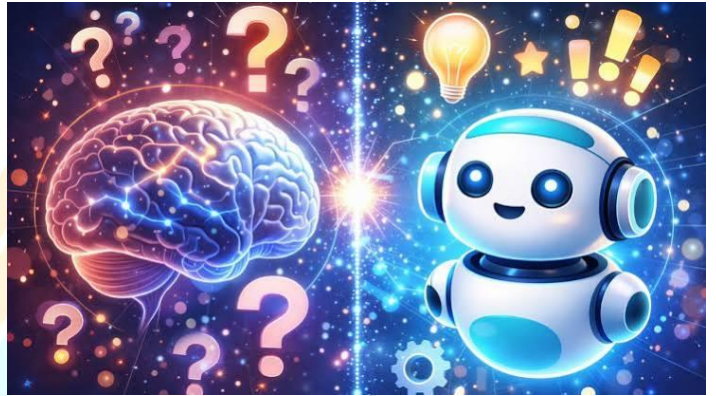
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** जैव विविधता का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, और आवास बहाली।

- **जीएस पेपर III (शासन और संस्थाएं):** प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP), अंतर-राज्यीय संरक्षण परियोजनाएं, और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं।

11. AI अब एक महाशक्ति खेल है: भारत के लिए तीन कठिन प्रश्न

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **द्विध्रुवीय AI एकाग्रता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रिम पंक्ति की तकनीकी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में केंद्रित बनी हुई है, जिससे AI शासन एक महाशक्ति खेल में बदल गया है।
- **अमेरिका-चीन AI संवाद का उद्भव:** वाशिंगटन और बीजिंग के बीच सीधी बातचीत का उद्देश्य फ्रंटियर मॉडल के सुरक्षा जोखिमों को प्रबंधित करना, घटना अधिसूचना प्रणाली स्थापित करना और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।
- **तकनीकी प्रतिस्पर्धा का सामना करना:** भारत को पैक्स सिलिका (Pax Silica) जैसी अमेरिका के नेतृत्व वाली पहलों के साथ एकीकृत रहते हुए अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा का सामना करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- **ग्लोबल साउथ आउटरीच प्रतिस्पर्धा:** चीन खुद को विकासशील देशों के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे, उन्नत फ्रंटियर मॉडल और ओपन-सोर्स AI पहलों का लाभ उठाता है।
- **टेक कंडोमिनियम (Tech Condominium) का जोखिम:** एक द्विपक्षीय अमेरिका-चीन सर्वसम्मति भेदभावपूर्ण प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था बनाने का जोखिम उठती है, जिससे उभरती शक्तियों के लिए बाजार पहुंच और तकनीकी विकास सीमित हो सकता है।
- **स्वदेशी क्षमताओं की अनिवार्यता:** भारत की दीर्घकालिक डिजिटल संप्रभुता घरेलू AI कंप्यूट क्षमता, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, अनुसंधान प्रतिभा और पूंजी को तेजी से बढ़ाने पर निर्भर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **फ्रंटियर मॉडल (Frontier Models):** उन्नत, बड़े पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधारभूत मॉडल जो विभिन्न प्रकार के जटिल कार्यों को करने में सक्षम हैं, जो सफलता क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम दोनों पेश करते हैं।
- **टेक कंडोमिनियम (Tech Condominium):** एक भू-राजनीतिक परिदृश्य जहाँ दो प्रमुख महाशक्तियाँ अन्य राष्ट्रों के लिए पहुँच को प्रतिबंधित करते हुए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर विशेष द्विपक्षीय नियम और नियामक नियंत्रण स्थापित करती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोसेसिंग और मध्यस्थ दायित्व को विनियमित करने वाले प्राथमिक वैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** डेटा प्रशासन, प्रसंस्करण और गोपनीयता के लिए कानूनी मानक स्थापित करता है, जो AI एल्गोरिदम के प्रशिक्षण डेटासेट को सीधे प्रभावित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य नीति का एक निर्देशक तत्व जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और न्यायसंगत वैश्विक शासन संरचनाओं को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय AI रणनीति (नीति आयोग):** "AI for All" पहल के तहत जिम्मेदार AI विकास, नैतिक तैनाती और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय नीति उद्देश्यों को निर्धारित करता है।

निष्कर्ष जैसे-जैसे AI महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का एक केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं पर निर्भर रहना अपर्याप्त है। भारत को अपनी तकनीकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए मजबूत घरेलू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए विश्वसनीय वैश्विक सहयोगियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह, भारत के हितों पर महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता का प्रभाव, उभरती प्रौद्योगिकियों का वैश्विक शासन।
- **जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साइबर सुरक्षा चुनौतियां।

12. मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए व्यापार संधि नीति का उपयोग

प्रमुख बिंदु और सारांश

- **विस्तारित संधि नेटवर्क:** भारत ने यूएई, इजराइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ईएफटीए (EFTA) और ओमान के साथ हालिया द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से अपनी विदेशी आर्थिक साझेदारियों का विस्तार किया है।
- **ISDS चूक का पुनरीक्षण:** आधुनिक भारतीय FTAs अक्सर निवेशक-राज्य विवाद निवारण (ISDS) तंत्र को छोड़ देते हैं; भविष्य के समझौते स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत का विश्वसनीय घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र इस चूक को सही ठहराता है।

- **संधि बनाम अनुबंध विवादों में अंतर:** भारत-उज्बेकिस्तान BIT जैसी हालिया संधियाँ संधि-आधारित ISDS दावों से शुद्ध संविदात्मक उल्लंघनों को बाहर करके स्पष्ट सीमाएं खींचती हैं।
- **स्थानीय उपायों की समाप्ति:** BIT प्रावधान जिनमें निवेशकों को ISDS से पहले घरेलू न्यायिक या प्रशासनिक उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, भारत के भीतर स्थित वाणिज्यिक मध्यस्थता के माध्यम से संतुष्ट किए जा सकते हैं।
- **तृतीय-पक्ष वित्तपोषण नीति की सूक्ष्मता:** हालांकि भारत संप्रभु ISDS विवादों में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण (Third-Party Funding - TPF) को प्रतिबंधित करता है, वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए संधि की भाषा में वाणिज्यिक मध्यस्थता में TPF को स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए और विनियमित किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक मध्यस्थता हब लक्ष्य:** व्यापार संधि संरचना और प्रवर्तन तंत्र के बीच रणनीतिक संरेखण से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित होगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **निवेशक-राज्य विवाद निवारण (ISDS):** एक अंतरराष्ट्रीय तटस्थ न्यायाधिकरण तंत्र जो विदेशी निवेशकों को संधि दायित्वों के कथित उल्लंघनों के लिए सीधे मेजबान सरकारों के खिलाफ कानूनी दावे लाने की अनुमति देता है।
- **तृतीय-पक्ष वित्तपोषण (TPF):** एक समझौता जहां एक असंबद्ध तीसरा पक्ष मौद्रिक पुरस्कार के एक सहमत हिस्से के बदले में किसी पक्ष के कानूनी या मध्यस्थता खर्चों को वित्तपोषित करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:** भारत में घरेलू मध्यस्थता, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** अंतरराष्ट्रीय संधियों, द्विपक्षीय निवेश समझौतों और सम्मेलनों को प्रभावी करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** एक निर्देशक तत्व जो राज्य को संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **न्यूयॉर्क सम्मेलन (1958):** 1996 के अधिनियम के तहत लागू एक बहुपक्षीय संधि जो अनुबंध करने वाले राज्यों के बीच विदेशी मध्यस्थता निर्णयों की पारस्परिक मान्यता और प्रवर्तन सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष घरेलू विवाद निवारण सुधारों के साथ BIT और FTA वार्ताओं को सुसंगत बनाकर, भारत विदेशी निवेशक सुरक्षा के साथ मेजबान-राज्य नियामक स्वायत्तता को संतुलित कर सकता है। अनुमानित प्रवर्तन और स्पष्ट संधि दिशानिर्देशों के माध्यम से वाणिज्यिक मध्यस्थता को मजबूत करने से पसंदीदा वैश्विक व्यवसाय और मध्यस्थता गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और त्वरित न्याय):** वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र, वाणिज्यिक विवादों के लिए वैधानिक ढांचा, और सुगम व्यवसाय पहल (Ease of Doing Business) सुधार।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और व्यापार):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), द्विपक्षीय निवेश संधियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, और वाणिज्यिक कानूनी अवसंरचना।

